



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

“केविएट - सूचना”

क्रमांक / 3027 / पेड / विधि / 2020

रायपुर, दिनांक 27.10.2020

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्र. 02/2019/परीक्षा दिनांक 18.01.2019 को सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) विभिन्न विषयों के कुल 1384 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन में शुद्धि पत्र क्रमांक 04/2019/दिनांक 01.02.2019, शुद्धि पत्र क्रमांक 07/2019/दिनांक 23.02.2019, शुद्धि पत्र क्रमांक 12/2019/दिनांक 23.11.2019, सूचना-पत्र दिनांक 11.12.2019, शुद्धि पत्र क्रमांक 02/2020/दिनांक 11.02.2020 एवं सूचना-पत्र दिनांक 05.09.2020 जारी किया गया है।

2/ आयोग द्वारा सूचना पत्र क्र. 2693/05/परीक्षा/2019 दिनांक 09.10.2020 के माध्यम से उक्त सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) विभिन्न विषयों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी कारण को आधार बनाते हुए आयोग के उक्त परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त करने/स्थगित करने अथवा किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने के लिए कोई भी रिट याचिका अथवा कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी याचिका में उपरोक्त किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्रदान किए जाने के पूर्व आयोग को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने हेतु आयोग की ओर से एक केविएट आवेदन पत्र आयोग के प्राधिकृत अधिवक्ता श्री आनंद मोहन तिवारी (मो0नं0-9826194499, ईमेल-anand_tiwari71@yahoo.com) के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक केविएट आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस हेतु यह सूचना-पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर